

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी, अलवर

अंतिम अद्यतन दिनांक: 26.07.2026

क्र.	विषय / विवरण	विस्तृत सूचना
(i)	विद्यालय के संगठन, कार्यों एवं दायित्वों का विवरण	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय का नाम: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर सीबीएसई सम्बद्धता संख्या: 1700001 प्रबंधन: केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार पता: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी, अलवर (राज.) 301001 कार्य: सीबीएसई पाठ्यक्रम एवं केवीएस के मानदंडों के अनुसार विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना
(ii)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	<ul style="list-style-type: none"> प्राचार्य: श्री जी.डी. मीना - विद्यालय के समग्र शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमुख, केवीएस/सीबीएसई नीतियों के क्रियान्वयन, स्टाफ पर्यवेक्षण एवं विद्यालय प्रशासन के लिए उत्तरदायी अन्य शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी अपने पदनाम के अनुसार, प्राचार्य के पर्यवेक्षण में, केवीएस शिक्षा संहिता के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं
(iii)	निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही की शृंखला शामिल है	<ul style="list-style-type: none"> निर्णय केवीएस शिक्षा संहिता एवं सीबीएसई के मानदंडों के अनुसार लिए जाते हैं पर्यवेक्षण शृंखला: शिक्षक → प्राचार्य → उपायुक्त, केवीएस जयपुर संभाग → केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) विद्यालय प्रबंध समिति (वीएमसी) संस्थागत निगरानी एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है (देखें वीएमसी विवरण)
(iv)	कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानदंड	<ul style="list-style-type: none"> प्रवेश नीति: केवीएस प्रवेश दिशानिर्देश शैक्षणिक कैलेंडर: कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज परीक्षा एवं मूल्यांकन नीति: केवीएस एवं सीबीएसई के मानदंडों तथा केवीएस शिक्षा संहिता के अनुसार
(v)	कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले	<ul style="list-style-type: none"> केवीएस शिक्षा संहिता

	नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली एवं अभिलेख	<ul style="list-style-type: none"> • सीबीएसई उपनियम एवं पाठ्यक्रम दिशानिर्देश • केवीएस लेखा संहिता (वित्तीय नियमों एवं बजट संबंधी विषयों हेतु)
(vi)	विद्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ	<ul style="list-style-type: none"> • प्रवेश एवं नामांकन अभिलेख • छात्र उपस्थिति एवं शैक्षणिक अभिलेख • शुल्क रसीदें एवं लेखा-जोखा • विद्यालय प्रबंध समिति (वीएमसी) के अभिलेख • कर्मचारी सेवा अभिलेख
(vii)	नीति निर्माण में जनता के परामर्श/प्रतिनिधित्व की व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> • शैक्षणिक सत्र के दौरान समय-समय पर अभिभावक-शिक्षक बैठकें (पीटीएम) आयोजित की जाती हैं • विद्यालय प्रबंध समिति (वीएमसी), जिसमें अभिभावकों का प्रतिनिधित्व शामिल है - देखें वीएमसी विवरण
(viii)	विद्यालय द्वारा गठित बोर्ड, परिषद, समितियाँ	<ul style="list-style-type: none"> • विद्यालय प्रबंध समिति (वीएमसी) - सदस्यों के विवरण हेतु देखें वीएमसी पृष्ठ
(ix)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	<ul style="list-style-type: none"> • पदनाम सहित शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की सूची हेतु देखें स्टाफ विवरण।
(x)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक	<ul style="list-style-type: none"> • वेतन केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के वेतनमान एवं केवीएस लेखा संहिता के अनुसार, भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप निर्धारित होता है।
(xi)	आवंटित बजट, योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय एवं संवितरण	<ul style="list-style-type: none"> • बजट एवं वित्तीय प्रबंधन केवीएस लेखा संहिता द्वारा शासित होता है। विस्तृत आंकड़े जन सूचना अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
(xii)	सब्सिडी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	<ul style="list-style-type: none"> • विद्यालय किसी भी सब्सिडी कार्यक्रम का संचालन नहीं करता है।
(xiii)	प्रदत्त रियायतों, अनुज्ञप्तियों अथवा प्राधिकरणों का विवरण	<ul style="list-style-type: none"> • लागू सरकारी/केवीएस मानदंडों के अंतर्गत स्वीकार्य शुल्क रियायतों के अतिरिक्त, विद्यालय कोई अन्य रियायत, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान नहीं करता है।

(xiv)	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण	<ul style="list-style-type: none"> • परीक्षा परिणाम • परिपत्र एवं सूचनाएं • प्रवेश संबंधी जानकारी • कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज
(xv)	नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाएं	<ul style="list-style-type: none"> • फ्रंट ऑफिस/प्रवेश कार्यालय समय: प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक • पुस्तकालय: केवल विद्यार्थियों एवं स्टाफ के आंतरिक उपयोग हेतु; सामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं
(xvi)	जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं विवरण	<ul style="list-style-type: none"> • जन सूचना अधिकारी (पीआईओ): श्री जी.डी.मीना, प्राचार्य पता: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी, अलवर (राज.) 301001 दूरभाष: 0144-2343323 (कार्यालय) ईमेल: ppl.alwar@kvs.gov.in • प्रथम अपीलीय प्राधिकारी: श्री संजीत कुमार, उपायुक्त, केवीएस दूरभाष: 0141-2704572 (इस पद पर दिनांक 28-06-2024 से अद्यतन तक)
(xvii)	अन्य सूचना	<ul style="list-style-type: none"> • वर्तमान में कोई अन्य सूचना नहीं। <p>उपरोक्त में शामिल न की गई सूचना हेतु, नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क सहित, बिंदु (xvi) में उल्लिखित जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।</p>

ऊपर दी गई जानकारी के अलावा किसी अन्य जानकारी के लिए, नागरिक आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित आर.टी.आई. आवेदन शुल्क के साथ, आइटम (xvi) में बताए गए जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं।